



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22654

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2334/2026

रामकृत एवं 2 अन्ययाचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्यप्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार सिंह, गणेश विक्रम सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका में याचीगण द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् अपर उप जिलाधिकारी, सदर, गाजीपुर को यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35(2) के अंतर्गत अपील संख्या 5608/2024 (कंप्यूटर वाद संख्या T202414291005608) को विशिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
3. यहां प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष संबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन करने की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है और न ही याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय को उपरोक्त वाद को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2020 में दायर किया गया है।
5. उपरोक्त के आलोक में, याचीगण को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि, अवर न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार सख्ती से उक्त वाद को किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना चार महीने की अवधि के भीतर तय करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विनोद

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"